

सोशल ऑडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, e-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1167/सो.आ.नि.-3/590/2025

दिनांक: 21 अक्टूबर, 2025

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल ऑडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,

(गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर),

उत्तर प्रदेश।

विषय: Updation of Aadhaar details of Resource Persons in SAU-MIS- regarding.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- J-11060/08/2024-RE-III(387576), दिनांक 09-10-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा भारत सरकार की महात्मा गाँधी नरेगा वेबसाइट के एसएयू-एम०आई०एस० पर अपलोड सोशल ऑडिट यूनिट के रिसोर्स पर्सन्स के विवरण को अद्यतन किये जाने तथा दर्शाए जा रहे डेटा की सटीकता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। एसएयू-एम०आई०एस० में सभी रिसोर्स पर्सन्स के आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण (authentication) किये जाने हेतु व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था एसएयू-एम०आई०एस० पर नए पंजीकरण किये जाने और मौजूदा अपलोड रिसोर्स पर्सन्स, दोनों के लिये की गयी है। एसएयू के अंतर्गत सभी रिसोर्स पर्सन्स के आधार विवरण का अद्यतनीकरण 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- विलेज रिसोर्स पर्सन्स (SATMs) का पंजीकरण एवं एसएयू-एम०आई०एस० पर अपलोड डेटा को अद्यतन किये जाने का विकल्प जिला सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर (DSAC) एवं अपलोडिंग के लिये नामित ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर (BSAC) के लॉगिन में उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिये सोशल ऑडिट टीमों के पैनल में नामित विलेज रिसोर्स पर्सन्स (SATMs) का पंजीकरण/ अपलोड डेटा का आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण (authentication) जनपद स्तर से किया जाना है।

3- डेटा को अद्यतन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा कि नाम (अंग्रेजी में) और लिंग ठीक उसी प्रकार फीड किया जाये जैसा कि आधार कार्ड में उल्लेख किया गया है, अन्यथा एस०आई०एस० द्वारा उक्त प्रविष्टि को मान्य न किये जाने से नया पंजीकरण/ अपलोड डेटा को अद्यतन किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं होगी।

-2-

4- अतः आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्तानुसार भारत सरकार की महात्मा गाँधी नरेगा वेबसाइट के एसएयू-एम०आई०एस० पर विलेज रिसोर्स पर्सन्स (SATMs) के आधार विवरण का अद्यतनीकरण 31 अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,
Digitally signed by
Kamlesh Kumar
Date: 17-10-2025
16:34:19
(कमलेश कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि:- समस्त जिलाधिकारी (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर), उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

(कमलेश कुमार)
निदेशक

J-11060/08/2024-RE-III (387576)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Mahatma Gandhi NREGA

Kartavya Bhawan-3, New Delhi,
Dated: 9th October, 2025

To,

The Director,
Social Audit Unit (SAU),
All States (except Goa) and UT of Jammu & Kashmir, Puducherry and Ladakh.

Subject: Updation of Aadhaar details of Resource Persons in SAU-MIS – regarding.

Madam /Sir,

Kindly refer to this Ministry's letter No. J-11060/08/2024-RE-III (Part-II) (390555) dated 04.04.2025, regarding registration of all SAU/SARP by 30th April, 2025, and letter number J-11060/08/2024-RE-III (Part-I) (390522) dated 05.06.2025 (copy enclosed), wherein SAUs were requested to update the details of Resource Persons in SAU-MIS and ensure accuracy of the data reflected therein.

2. It has been observed that the number of Resource Persons reflected in SAU-MIS is not fully consistent with the actual engagement at the field level, which has led to certain variations in reporting. To address this issue, a provision for Aadhaar seeding and authentication of all Resource Persons in SAU-MIS has been enabled. This will apply to both new registrations and existing employees.
3. It is requested to complete the updation of Aadhaar details of all Resource Persons under the SAU and ensure seeding and authentication in the MIS latest by 31st October, 2025. While updating, please ensure that the name (in English) and gender are entered exactly as mentioned in the Aadhaar card, failing which the MIS will not validate the entry.
4. For guidance, the step-by-step procedure is enclosed as an SOP.
5. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours sincerely,

Encl: a/a



(Abhishek Kumar)
Under Secretary to the Government of India